न्यायालय उप जिला कलैक्टर एवं दण्डनायक, टोडाभीम (करौली)

सरवर्क-मिसल

नम्बर रजिस्टर्ड	किस्म मुकदमा	तारीख रजू	तारीख फैसला	तारीख दाखिल दफ्तर	तादाद वर्क	मुहाफिज खाने का नम्बर
5/19	प्रार्थना पत्र 251	3/7/19	6/11/19			

8-7-19
12-7-19
17-7-19
25-7-19
1-8-19
6-8-19
8-8-19
जवाब
वादीगण 22-8-19
30-8-19
3-9-19
9-9-19
11-9-19
17-9-19
23-9-19
30-9-19
10-10-19
16-10-19
24-10-19
01-11-19
5-11-19
6-11-19
स्वीकार

उनवान

बल्लू सिंह वगैरह/ भंवरसिंह वगैरह राजपूत
माधोपुरा

श्री सुरेश चन्द शर्मा
वकील वादी

श्री राजकुमार सिंह राजावत सिंह
वकील प्रतिवादी

तफसील कागजात

"भाग–अ"	भाग "ब"

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 05 /2019 तारीख रजू:– 03.7.19

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

1. बल्लूसिंह पुत्र जगमाल सिंह
2. किशनसिंह पुत्र जगमाल सिंह
3. दशरथ सिंह पुत्र जगमाल सिंह
4. राजेन्द्र सिंह पुत्र जगमाल सिंह
5. सुमेर सिंह पुत्र जगमाल सिंह
6. गिरजा देवी पत्नि दशरथ सिंह
7. लाडकवंर पत्नि सुमेर सिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासीयान माधोपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवर सिंह पुत्र विशनसिंह
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र विशनसिंह
3. फूलदेई पत्नि रधुपतसिंह
4. हनुमान सिंह पुत्र रधुपत सिंह
5. घारासिंह पुत्र रधुपतसिंह
6. उदयसिह पुत्र प्रेमसिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासीयान माधोपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
7. सब रजिस्टार टोडाभीम।
8. तहसीलदार टोडाभीम।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत घारा 251ए राज.टी.एक्ट

उपस्थितिः– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट प्रार्थीगण

श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट अप्रार्थीगण 1 ता 6

निर्णय दिनांकः– 06.11. 2019

प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम माधोपुरा स्थित आराजी ख0न0 152 रकवा 0.35 है0, 151 रकवा 0.58 अन्य आवेदकगण के नाम है। आराजी ख0न0 151, 152 के पूर्व की और आवेदक गण की खातेदारी की भूमि ख0न0 153, 154, 155 है तथा ख0न0 151, 152 के पश्चिम की ओर ख0न0 135 रकवा 0. 19 है0 गै0मु0 रास्ता है। आवेदकगण हमेशा से अपनी आराजी ख0न0 154, 155 मे रास्ता ख0न0 135 से ख0न0 152, 153 की दक्षिण दिशा की ओर डौल मे होकर निकलते रहे है इसी मे होकर आवेदकगण के पहले बैलगाडी तथा अब फसल को बोने के लिये टेक्टर लाने लेजाने व पशुधन को लाने लेजाने के काम लेते चले आ रहे है। उक्त रास्ता मुख्य रास्ते ख0न0 135 से 10 फिट चौडा और करीब 60 फिट लम्बा है उसके बाद आवेदक की आराजी ख0न0 153 है जो कय की है। ख0न0 154, 155 आवेदकगण की आराजी है। आवेदकगण को अपनी आराजी पर पहुचने के लिये यही एक मात्र रास्ता है। जिसे आवेदकगण बजमाने बुजुर्गान से पिछले पचास सौ साल से बिना अवरोध बेरोकटोक निर्बाध रूप से अन आवेदक

उपजिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

न0 1 ता 6 की इत्म मे उपयोग अपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र के साथ मे सलग्न नक्शा शीट मे लाल रंग की डोटेड लाईन से दर्शाया गया है।

अनआवेदकगण आवेदकगण को परेशान करने की गरज से उक्त रास्ते को बन्द करना चाहते है। क्योकि उक्त आराजीयात मुख्य रास्ता सडक के किनारे है जिसके कारण भूमि की कीमत बढगयी है। अनवादेकगण के मन मे बदयान्ति है तथा वे ख0न0 152 मे होकर आवेदक को अपनी आराजी मे नही आने दे रहे है। उक्त रास्ते पर बाउन्ड्रीवाल कर रास्ते को अवरूद्ध करने पर आमदा है जबकि आगे के ख0न0 मे मोरम डालकर रास्ता बना हुआ है।

बाका दिनांक 26.06.2018 का है कि आवेदकगण अपनी खातेदारी की भूमि ख0न0 155 पर जा रहे थे कि अनावेदकगण ने आवेदक गण से कहा कि हम जल्द की इस रास्ते को बन्द कर देगे। तथा हमारे खेत ख0न0 151, 152 की पूर्व दिशा की सीमा की ओर बाउन्ड्रीवाल कर देगे इस पर आवेदकगण ने उनसे कहा कि तुम लोग इस रास्ते की जमीन की कीमत लेलो मगर हमारे रास्ते को बन्द मत करो नही तो हम अपनी भूमि पर कैसे जा पायेगे। लेकिन अनआवेदकगण एक भी बात मानने को तैयार नही हुये विवादित भूमि के कृषि भूमि होने तथा पूर्व मे रास्ता होने लेकिन नक्शा ट्रेस मे रास्ता नही होने के कारण तथा ट्रेस मे नवीन रास्ता चाहने का विवाद होने के कारण यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदकगण को अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि आराजी ख0न0 153, 154, 155 ग्राम माधोपुरा मे आने जाने के लिये ख0न0 152 के दक्षिण दिशा की ओर डोल के सहारे उत्तर से दक्षिण 10 फिट, पूर्व से पश्चिम 50 फिट की सीमा तक राजस्व रिकार्ड मे नवीन रास्ते के रूप मे कायम कर नक्शा शीट मे अन्य राजस्व रिकार्ड मे तरमीम करने के आदेश प्रदान करे, आवेदकगण इस बावत रास्ते हेतु कायम होने वाली भूमि का इस अधिनियम की मंशाअनुसार श्रीमान न्यायालय द्वारा आदेशित मुआवजा राशी खातेदारान को अदा करने को तैयार है। बसूरत दीगर उक्त मुआवजा राशि अनावेदकगण 7 के यहा जमा कराने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अनावेदकगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी न0 7 व 8 बाबजूद सूचना उपस्थित नही, इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अनावेदकगण 1 ता 6 की ओर से श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट ने जबाब प्रस्तुत [redacted] कर पक्षकारान को न्यायालय मे उपस्थित कराया। पक्षकारान को सुनकर तहसीलदार टोडाभीम को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को पत्रावली मे शामिल किया गया। मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अनावेदकगण ने आपत्ति प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 का. अधिनियम एवं आपत्ति प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट पर वकील उभयपक्षकरान की बहस सुनी गई। आवेदकगण के वकील ने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी ख0न0 153, 154, 155 मे आने–जाने एवं टेक्टर इत्यादि साधन के आवागमन हेतु प्रयोग मे लिये जा रहे प्रार्थना पत्र मे वर्णित रास्ते को रिकार्डेड रास्ता घोषित फरमाते हुये नक्शा ट्रेस एवं राजस्व रिकार्ड मे अमल– दरामद करवाया जावे। आराजी ख0न0 152 की भूमि के बदले नियमानुसार मुआवजा राशी जमा कराने को तैयार है। तहसीलदार टोडाभीम ने मौके की वर्तमान स्थिति को दर्शाते हुये मौका रिपोर्ट सही व वास्तविक प्रस्तुत की है। ख0न0 152, 153 मे होकर 58 मीटर लम्बाई का व 12 फिट चौडाई का रास्ता मौके पर होना तहसीलदार टोडाभीम ने अपनी रिपोर्ट मे दर्शित किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ख0न0 152, 153 मे होकर 30X12 फिट का रास्ता नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकार्ड मे अंकित करवाया जावे। नियमानुसार राशी जमा करवाने को तैयार है। वकील अनावेदकगण ने बहस मे कथन किया कि आवेदकगण को अपनी आराजीयात पर पहुचने के लिये पूर्व मे ही अन्य रास्ता उपलब्ध है नया रास्ता दिये जाने की आवश्यकता नही है। साथ ही मौका रिपोर्ट की आपत्ति प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का कथन किया कि पटवारी /भू0अ0निरीक्षक ने पूर्व मे इस मौका

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

फरमाया जावे। तथा पक्षकारान ने यह भी निवेदन किया कि पीठासीन अधिकारी महोदय स्वंय मौके पर पहुचकर मौका स्थिति अवलोकन फरमावे। पक्षकारान के कथन पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण किया गया। अनावेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित रास्ते का निरीक्षण करने का कथन किया जिस पर आवेदकगण के आराजी पर पहुचने के लिये रास्ते का अवलोकन किया गया। इस रास्ते की भूमि अन्य खातेदारान की खातेदारी मे दर्ज है। ग्राम पंचायत की ओर से विधालय मे पहुच हेतु सुविधा के लिये सी.सी. रोड का निर्माण कराया गया है। रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिस भूमि मे ग्राम पंचायत द्वारा सी.सी. रोड निर्माण किया गया है। वह भूमि अन्य खातेदारो के नाम दर्ज है। सी.सी.रोड से आवेदकगण को विधालय के खेल मैदान मे होकर रास्ता दिया जाना किसी भी प्रकार से व्यवहारिक एवं न्यायोचित नही है। आवेदकगण को अपनी खातेदारी की भूमि पर पहुचने हेतु प्रस्तावित रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है ओर प्रार्थना पत्र मे वर्णित रास्ता ही सुविधाजनक व उपर्युक्त है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। ग्राम माधोपुरा के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व नक्शा शीट का अवलोकन किया गया। ख0न0 135 रकवा 0.19 है0 सिवायचक गै0मु0 रास्ता है, तथा मौके पर सडक बनी हुई है। आवेदकगण को अपनी आराजीयात ख0न0 153, 154, 155 पर पहुचने के लिये वर्तमान मे अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता नही है। जिसके कारण आवेदकगण को उक्त खसरा नम्बरान पर पहुच हेतु रास्ता दिया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। आराजी ख0न0 152 अनावेदकगण की खातेदारी की भूमि है तथा आराजी ख0न0 153, 154, 155 आवेदकगण एवं अन्य सहखातेदारान की सम्मिलित भूमि है। आराजी ख0न0 152 के खातेदार/अनावेदकगण को प्रस्तावित रास्ते मे दी जाने वाली भूमि के बदले अन्य भूमि दिये जाने का प्रस्ताव किया गया, किन्तु इन्होने भूमि के बदले भूमि लेने से इन्कार कर दिया। आराजी ख0न0 153, 154, 155 मे आवेदकगण अन्य सहखातेदारान के साथ खातेदार काश्तकार है। ख0न0 153, 154, 155 मे प्रस्तावित रास्ते की भूमि आवेदकगण के खातेदारी की भूमि से कम की जाकर रास्ते के लिये दिया जाना न्यायोचित है। जिसमे से रास्ते के लिये भूमि दिये जाने के लिये आवेदकगण स्वंय सहमत है। इस प्रकार आवेदक की भूमि ख0न0 153, 154, 155 मे आवागमन हेतु ख0न0 152 मे से रास्ता के अतिरिक्त कोई वैकल्पिक रास्ता नही होना स्पष्ट है। अतः आवेदकगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

ग्राम माधोपुरा की भूमि ख0न0 153, 154, 155 तक आवागमन हेतु ख0न0 152, 153, 154, 155 की दक्षिण दिशा से होकर 12 फिट चोडा रास्ता गै0मु0 रास्ता (सिवायचक) कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टोडाभीम को आदेश दिये जाते है कि ख0न0 152 मे 12 फिट चोडा व 24 मीटर लम्बा रास्ते की प्रभावित भूमि की डी.एल.सी. की दो गुणा राशी जमा होने पर प्रस्तावित भूमि को राजस्व रिकार्ड मे गै0मु0 रास्ता (सिवायचक) दर्ज करे। डी.एल.सी. दर की दो गुणी राशी अनआवेदक 1 लगायत 5 को दिलवाई जावे। अनआवेदकगण द्वारा राशी प्राप्त नही करने पर राजकोष मे अमानत मद मे जमा करवाई जावे। आराजी ख0न0 153 मे 12 फिट चोडा एवं 32 मीटर लम्बाई की भूमि के बराबर की भूमि आवेदकगण के हिस्से की खातेदारी भूमि से कम कर गै0मु0 रास्ता (सिवायचक) दर्ज करे। आराजी ख0न0 154 मे 12 फिट चौडा व 30 मीटर लम्बाई की भूमि एवं ख0न0 155 मे 12 फिट चोडा व 58 मीटर लम्बाई की भूमि आवेदकगण/खातेदारो की हिस्से की भूमि मे से खातेदारी कम कर गै0मु0 रास्ता (सिवायचक) दर्ज करे। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद तामिल तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

06.11.19

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2019.12.04 14:40:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: